दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 2990 / 05 / 76 / एक / 2015–16 दिनांक 23 अक्टूबर 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–रामपुर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	215.828

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पा0० रामपुर	वार्ड नं0 2 मो0 विकास नगर के ज्वाला नगर में श्री करन सिंह के मकबान से महेन्द्र, रन्जना कश्यप, कमला व सुभाष के मकान तक, वार्ड नं0 04 के मो0 मजार टाट शाह मिया से बच्छन खां के मकान से दानिश के मकान तक, परवेज के मकान से शाबिर रजा खां व सुहेल खां के मकान तक, वार्ड न0 04 के मो0 कोतवालान में मोईन खां के मकान से नईम खां, सलामत खां व जसीम खां के मकान तक, इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 05 में एस0पी0 बंगले के बगल वाली सड़क मजार इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण, वार्ड नं0 10 ज्वाला नगर जी0आर0पी0 गेट 3 में आदिल भाई के मकान से रिरीराज, ममता, सुभाष चन्द्र व सुर्तीलाल के मकान तक, जफर मार्केट रान ब्राइट वाली गली में आगापुर रोड से शंकर लाला के मकान तक, मो0 ज्वाला नगर में जी0आर0पी0एफ रोड पर मेन रोड से आले हसन, नूर अहमद, जी अबरार अहमद व हाजी सफी अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 10 मो0 शिव कालोनी में रायल क्लाथ हाउस से नितिन कुमार शर्मा के मकान तक, मो0 ज्वाला नगर में डा0 अजय की गली में, अतीक की दुकान से नाज टेलर, कुरेशी भाई व मो0 आरिफ के मकान तक, मो0 ज्वाला नगर में जी0आर0पी0 गेट नं0 03 में डा0 बंगाली की दुकान से मुन्नू चक्की, अबरार व मुन्ने भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 10 बिस्मिल्लाह बिल्डिंग ज्वाला नगर में मुजीब भाई के मकान से अनमोल दूर डेरी व साजी की दुकान, बाबू भाई के मकान तक, वार्ड नं0 10 ज्वाला नगर श्याम कालोनी में मुन्ने भाई की दुकान से सुधीर कुमार व नरायन के मकान तक, श्याम मंदिर से विशेष कुमार शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 10 ज्वाला नगर सी0आर0पी0एफ0 रोड के पास हनीफ के मकान से इरफान के मकान तक, वार्ड नं0 12 मो0 कलधर मजार अल्लाह उ0 दादा में नालापार	**215.828**

दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

408/2

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				तोपखाना रोड के किनारे हाफिज, मोहम्मद यासीन, शराफत, मुजफ्फर भाई, मंजूर अहमद आदि के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य, वार्ड नं0 13 मो0 नालापार में शबाना के मकान से मोहम्मद रियां खां, अयूब मियां व मन्जू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण, वार्ड नं0 15 मो0 कुन्डा में रमेश के मकान से महफूज खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण वार्ड नं0 16 मो0 मढैया नादर बाग में अरूण टण्डन के मकान से वीर सिंह के मकान होते हुये किडजी स्कूल तक, मदरसा से बच्छन भाई के मकान तक व लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज से महफीस के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य, वार्ड नं0 16 मो0 गंगापुर मढैया नादर बाग में सन्तोष निवास अमर सिंह के मकान तक, सन्तोष निवास अमर सिंह के मकान तक शंकर लाल के मकान से राम किशन के मकान तक व मो0 शक्तिपुरम में फरीद खान की दुकान से हर्बल ब्यूटी पार्लर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य, वार्ड नं0 16 में मो0 करीम बाग आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के पीछे से सलीम खां के मकान तक, वार्ड नं0 16 मो0 शक्तिपुरम् कालोनी में अमर उजाला आफिस से शमीम अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 16 में मो0 एकता बिहार करीम बाग में मियां जान के मकान से खिजरत हयात खां मोहम्मद अजीम आदि के मकान तक, मोहम्मद नाजिम के मकान से ओम प्रकश गौतम, पुनीत सक्सेना, लालता प्रसाद व सतेन्द्र आदि के मकान तक व हरी ओम सैनी के मकान से रघुनन्दन, ओम प्रकाश व विजय जैन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण, वार्ड नं0 17 मो मढैया नादर बाग में विकास पब्लिक स्कूल के सामने, प्रीती हास्पीटल के पीछे मुजाहिद भाई के मकान से मदरसे तक व हाजी कमर खां के मकान से जावेद के मकान तक तथा वार्ड नं0उ 17 मो0 बाबादीप सिंह नगर में रेहान की दुकान से आबकारी विकाग के पास तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
	योग				**215.828**

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

408/3

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10 प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक